संख्या- 75/2025/1029/छप्पन-2025-115/1989/183/2019

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 08 अगस्त, 2025

विषय: जनपद सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज के अन्तर्गत, म्योरपुर हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु 3.6207 हे0 एवं टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण में प्रस्तावित 0.627038 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में निर्धारित लीज रेंट की धनराशि हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-113/आर0सी0एस0-2025/एम-3/2018 दिनांक 24 जुलाई, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिलाधिकारी, सोनभद्र के पत्र संख्या-1147/भूमि व्यवस्था-257/म्यो0ह0प0/2025, दिनांक 24 जून, 2025 के क्रम में सोनभद्र हवाई पट्टी हेतु प्राप्त की गयी 3.6207 हे0 एवं 0.627038 हे0 आरक्षित वन भूमि के लिए वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए निर्धारित लीज रेंट की धनराशि रू0 8,37,156/- (रूपए आठ लाख सैतीस हजार एक सौ छप्पन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत म्योरपुर हवाई पट्टी के विस्तारीकरण से आच्छादित 3.6207 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग एवं बाधक 255 वृक्षों/पौधों के पातन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 22.01.2021 में वार्षिक लीज रेन्ट सम्बन्धी शर्त संख्या-23 के अनुपालन हेतु वर्ष 2024-25 हेतु प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट हेतु रू0 3,18,252/-एवं वर्ष 2025-26 हेतु प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट हेतु रू0 3,18,252/- तथा जनपद सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज में हवाई पट्टी के टर्मिनल भवन के निर्माण में प्रभावित 0.627038 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 09.04.2021 में अंकित वार्षिक लीज रेन्ट विषयक शर्त संख्या 20 के अनुपालन हेतु वर्ष 2024-25 हेतु प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट हेतु रू0 1,00,326/- एवं वर्ष 2025-26 हेतु प्रीमियम का 10 प्रतिशत लीज रेंट हेतु रू0 1,00,326/- अर्थात् म्योरपुर हवाई पट्टी के विस्तारीकरण से आच्छादित वन भूमि के लिए वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित लीज रेंट की धनराशि कुल रुपये 4,18,578/- (चार लाख अट्ठारह हजार पांच सौ अठहत्तर मात्र) तथा वर्ष 2025-26 हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्धारित लीज रेंट की धनराशि कुल रुपये 4,18,578/- (चार लाख अट्ठारह हजार पांच सौ अठहत्तर मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 8,37,156/- (रूपए आठ लाख सैतीस हजार एक सौ छप्पन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 में उक्त धनराशि रू0 8,37,156/- (रूपए आठ लाख सैतीस हजार एक सौ छप्पन मात्र) को व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

(4) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना / स्त्रोत धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(7) कार्य की विशिष्टियों मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निर्देशक, नागरिक उड्डयन की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाए।

(8) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन / कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराए जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जाएगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(11) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में निदेशक नागरिक उड्डयन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर दी जा रही है। यदि मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 8,37,156/- (रूपए आठ लाख सैतीस हजार एक सौ छप्पन मात्र) आवंटित कर तत्काल जिलाधिकारी, सोनभद्र के निर्वतन पर रखी जाएगी।

4- जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को शीघ्र सूचित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखाशीर्षक "3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42-अन्य व्यय से वहन किया जाएगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

पृ0सं0-75/2025/1029(1)/छप्पन-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार / ई0एस0-111, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.
3- आयुक्त, मिर्ज़ापुर मण्डल, मिर्ज़ापुर ।
4- जिलाधिकारी, सोनभद्र।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी, सोनभद्र ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।